सं.2/11/2019-स्था. (वेतन-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 17 सितंबर, 2019

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः संघ के मंत्रियों के वैयक्तिक स्टॉफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति से पूर्व मूल संवर्ग में किसी पद पर तदर्थ आधार पर सेवारत अधिकारियों की ऐसी प्रतिनियुक्ति तथा मूल संवर्ग में आगामी प्रत्यावर्तन के दौरान सेवा-शर्तों के विनियमन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009 स्था. (वेतन-II) में समाविष्ट मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, ऐसा कोई अधिकारी जिसने प्रतिनियुक्ति/बाह्य-विभाग सेवा पर जाते समय अपने मूल संवर्ग में तदर्थ आधार पर उच्चतर पद धारण किया हो, यह माना जाएगा कि उसने तदर्थ आधार पर धारित पद को खाली कर दिया है तथा वह अपने नियमित पद से प्रतिनियुक्ति/बाह्य-विभाग सेवा पर चला गया है। इसके अलावा इसमें उल्लेख किया गया है कि मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के समय, यदि अधिकारी को उच्चतर पद पर नियमित अथवा तदर्थ आधार पर पुनर्नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन ऐसी पुनः नियुक्ति की तारीख को निम्नतर पद में लागू वेतन के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

2. इस विषय की संघ के मंत्रियों के वैयक्तिक स्टॉफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में पुन: समीक्षा की गई जो ऐसी नियुक्ति के पूर्व अपने मूल संवर्ग में किसी पद पर तदर्थ आधार पर सेवारत थे। समुचित विचार-विमर्श के उपरांत तथा संघ के मंत्रियों के वैयक्तिक स्टॉफ से संबद्ध कार्य की प्रकृति, जिम्मेदारियों, अंतर्निहित लोक-हित और साथ ही ऊपर उद्धरित दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. में संघ के मंत्रियों के वैयक्तिक स्टॉफ में नियुक्ति के लिए उल्लिखित अपेक्षित विशिष्ट अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

(i). ऐसे अधिकारी जो संघ के मंत्रियों के वैयक्तिक स्टॉफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवाएं देने से पूर्व किसी पद पर तदर्थ आधार पर सेवारत थे, वह मूल संवर्ग में उनके द्वारा धारित नियमित पद के आधार पर ऐसी प्रतिनियुक्ति पर जा सकेंगे।

(ii). ऐसी प्रतिनियुक्ति के दौरान, मूल संवर्ग में तदर्थ पदोन्नति तथा यदि वह मूल संवर्ग में ऐसे तदर्थ पद पर सेवाएं देना जारी रखता है, तो इसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले वेतन जिसका वह पात्र होता, को प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर उसके वेतन के निर्धारण के उद्देश्य से अनुमानिक रूप से जारी रखा जाएगा। प्रत्यावर्तन होने पर, उस अधिकारी को उसी पद पर वापस पदस्थ किया जाएगा जिसे यदि वह ऐसी प्रतिनियुक्ति पर न जाने पर अपने मूल संवर्ग में धारित करता। तथापि, यदि उसकी प्रतिनियुक्ति के दौरान, मूल संवर्ग में उसकी तदर्थ नियुक्ति की समाप्ति की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो प्रतिनियुक्ति पर उसके वेतन को मूल संवर्ग में नियमित पद पर ऐसे प्रत्यावर्तन पर उसके वेतन के संदर्भ में संशोधित किया जाएगा, तथा उस मामले में प्रतिनियुक्ति से उसके प्रत्यावर्तन के पश्चात, वह अधिकारी निचले ग्रेड में नियमित आधार पर धारित पद पर वापस जाएगा और तदनुसार उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा।

3. संघ के मंत्रियों के वैयक्तिक स्टॉफ में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों से संबंधित इस का.ज्ञा. की विषयवस्तु इस विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. में संदर्भित किसी विशिष्ट वर्ग के पदों पर किसी विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए संगत आदेश मानी जाएगी।

4. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान दिनांक 30.05.2019 से प्रभावी होंगे।

5. इस कार्यालय ज्ञापन के हिंदी व अंग्रेजी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेजी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं: 23040489

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)